मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462 004

क्रमांक एफ 73–37/2012/20–3 भोपाल, दिनांक /06/2012

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषयः–अशासकीय शिक्षण संस्था कमला देवी पब्लिक स्कूल, कमला निकुंज रेल्वे स्टेशन रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश को कक्षा 1 से 8 तक सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में।

–0–

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को कक्ष 1 से 8 तक सी.बी.एस.इ. से समबद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण – पत्र निम्नलिखित शर्तो पर दिया जाता है :–

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा मध्य प्रदेश शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध मे जारी निर्देशों का पालन कियॉ जायेगा।
2. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिखा अधिकारी, भोपाल (म.प्र.) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
3. शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार,

(बी. एस. डाबर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
27/6/12

.......निरंतर.... 2 पर

पृ.क्रमांक एफ 73–37/2012/20–3 भोपाल, दिनांक 29/06/2012

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, अशासकीय शिक्षा संस्था कमला देवी पब्लिक स्कूल, कमला निकुंज रेल्वे स्टेशन रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश को कक्षा 1 से 8 तक सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है :–
   - (i) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
   - (ii) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ–पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल, मध्य प्रदेश।
4. ऑर्डर बुक।

28-6-12

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

27/6/12

बेटी है तो कल है।

थापा